



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102022-239662
CG-DL-E-14102022-239662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4673]
No. 4673]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4883(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि हल्दीया - बरौनी पाइपलाइन पारियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु पश्चिम बंगाल राज्य के हल्दीया रिफ़ाइनरी से बिहार राज्य के बरौनी रिफ़ाइनरी तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए; और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा से० नि० संयुक्त सचिव बिहार प्रशासनिक सेवा व सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइंस डिविजन), बी० के० पी० एल० मुख्यालय परिसर, पो० बरौनी आयल रिफ़ाइनरी, जिला बेगूसराय, पिन- 851114 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला : पटना			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मोकामा	हाथीदह बुजुर्ग -20	2413	00	01	82
	हाथीदह खुर्द -21	616	00	00	82
		647	00	00	30
		660	00	00	20
		302	00	07	04

[फा. सं. आर-11025(11)/1/2019-ओआर-I(ई-28108)]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2022

S.O. 4883(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Products from Haldia Refinery in the state of West Bengal to Barauni Refinery in the State of Bihar a pipeline should be laid by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri. Arun Kumar Jha, Joint Secretary (Retd.), Bihar Administrative Service & Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipeline Division, BKPL Head Quarter, Post- Barauni Oil Refinery, District – Begusarai, Bihar – 851114.

<u>Schedule</u>					
District : Patna			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mokama	Hathidah Buzurg - 20	2413	00	01	82
	Hathidah Khurd-21	616	00	00	82

		647	00	00	30
		660	00	00	20
		302	00	07	04

[F. No. R-11025(11)/1/2019-OR- 1/E-28108]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.